मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 20519/22/आरजीएम/वि–8/95 भोपाल, दिनांक 8.11.95

आदेश क्रमांक – 4

प्रति,

1. कलेक्टर/परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुरैना/शहडोल/सीधी/बिलासपुर/रायगढ़/ सरगुजा/दुर्ग/रायपुर/बस्तर/राजनांदगांव/बालाघाट/जबलपुर/मण्डला/सिवनी/बैतूल/छिन्दवाड़ा/ होशंगाबाद/ धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगौन/देवास/रतलाम/इंदौर/शिवपुरी/सतना/सीहोर/सागर/भिण्ड/गुना /शाजापुर /पन्ना/रीवा/रायसेन/दमोह/नरसिंहपुर एवं राजगढ़ (म.प्र.)
2. उक्त जिलों से संबंधित, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त संबंधित)
3. परियोजना अधिकारी, मिली जलग्रहण क्षेत्र।

विषय : **राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न योजना अंतर्गत दिशा निर्देश।**

जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक 2 दिनांक 25.7.95 को जारी किया गया था। इस आदेश के तारतम्य में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर यह अगला आदेश है। कृपया इस परिपत्र को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व जनपद पंचायत कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की निर्देश गार्ड नस्ती में रखें।

1. **पंजीकरण :**
   (1.1) ग्राम स्तरीय वाटरशेड एसोसिएशन के स्थान पर ग्राम सभा को वे सभी दायित्व सौंपे जावें जो वाटरशेड गाइड लाइन के अनुसार वाटरशेड एसोसिएशन को प्राप्त थे। ग्राम सभा को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से रजिस्टर्ड कराने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही पर पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।
   (1.2) प्रत्येक वाटरशेड कमेटी का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन प्रक्रिया संबंधी निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।
   (1.3) परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से रजिस्टर्ड कराना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रक्रिया पृथक से सूचित की जावेगी।
2. **वाटरशेड खातों का संधारण :**
   (2.1) वे जिले जहां सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) लागू है, में परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पृथक से डीपीएपी खाता (वाटरशेड) खोला जावेगा तथा इसकी सूचना विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को दी जावेगी।
   (2.2) जिन जिलों में रोजगार आश्वासन योजना लागू है, इस मद में प्राप्त सकल राशि के 50 प्रतिशत अंश को वाटरशेड गतिविधियों के लिये पृथक से खोले स्वतंत्र खाते में अनिवार्य रूप

से रखा जावेगा और वाटरशेड (ई.ए.एस.) खाता खोलने की सूचना विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को दी जावेगी।

3. **वाटरशेड के लिये स्टाफ की व्यवस्था तथा मानदेय :**

(3.1) चयनित मिली वाटरशेड के प्रत्येक गांव के लिये एक वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) गठित होगी। इस समिति द्वारा संविदा नियुक्ति पर एक सचिव तथा दो स्वयं सेवकों को रखा जावेगा जो शासकीय कर्मचारी न होकर वाटरशेड कमेटी के कर्मचारी होंगे और उन्हें वाटरशेड समिति द्वारा प्रतिमाह क्रमशः एक मुश्त रुपये 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) तथा रुपये 500/– (रुपये पांच सौ मात्र) की अधिकतम सीमा तक मानदेय प्रदान किया जावेगा। आवश्यकतानुसार इसे कम रखा जा सकता है। ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी के सचिव एवं स्वयं सेवकों के यात्रा–भत्ता इत्यादि के व्यय का निर्धारण समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के सचिव एवं स्वयं सेवकों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता इत्यादि पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय की सीमा के अंतर्गत होगा।
प्रशासनिक व्यय संबंधी विवरण विभाग के आदेश क्रमांक 2 में विस्तार से वर्णित है। ध्यान रहे नियुक्तियां संविदा नियुक्ति की शर्तों पर होगी। इसे शासकीय सेवा या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या पंचायत की सेवा नहीं माना जावेगा। इस आशय के पत्र पर नियुक्त व्यक्ति की लिखित सहमति ली जावेगी।

(3.2) (अ) परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के स्तर पर एक पूर्णकालिक परियोजना कोआर्डीनेटर को संविदा नियुक्ति पर रखा जावे। ये संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी तथा रखे हुये व्यक्ति को रुपये 2000/– (रुपये दो हजार मात्र) प्रति माह की दर से एक मुश्त मानदेय दिया जावेगा। व्यक्तियों का चयन परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड द्वारा किया जावेगा तथा इनके नियुक्ति आदेश परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी किये जावेंगे। इनके वेतन इत्यादि का व्यय पी.आई.ए. द्वारा उनको उपलब्ध प्रशासनिक व्यय से किया जावेगा। संविदा नियुक्ति की शर्ते वैसी ही होगी, जैसा कि ऊपर पैरा (3.1) में दर्शाया गया है। जहां शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यह कार्य करेंगे वहां पृथक से नियुक्ति या मानदेय की पात्राता नहीं रहेगी।

(3.2) (ब) परियोजना समन्वयक की सहायता के लिये प्रत्येक मिली वाटरशेड में दो सहायक रखे जाना प्रस्तावित है। यह दोनों सहायक संविदा नियुक्ति पर पैरा 3.1 में वर्णित शर्तों पर एक वर्ष के लिये रखे जावेंगे तथा इन्हें रुपये 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) प्रति माह की दर से एक मुश्त वेतन दिया जावेगा। इनकी नियुक्ति परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड द्वारा की जावेगी। यह दोनों व्यक्ति मिली वाटरशेड के परियोजना अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। यह सुविधा मात्र उन मिली वाटरशेड के परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी जो शासकीय अधिकारी हैं। यह व्यय पी.आई.ए. स्तर के लिये प्रावधानित राशि से किया जावेगा तथा प्रशासनिक मद में वर्गीकृत होगा। इन व्यक्तियों को भुगतान पी.आई.ए. के प्रमुख द्वारा किया जावेगा।

(3.3) प्रत्येक मिली वाटरशेड के लिये पी.आई.ए. में परियोजना अधिकारी के अतिरिक्त कम से कम 6 व्यक्ति होंगे जो कार्यक्रम को संचालित करने में सहायक होंगे। पूरे प्रदेश में इस तरह की 431 टीमें होगी। इन टीमों का विभाजन निम्नानुसार है :–

(अ) सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम – 134 टीम

(ब) सुनिश्चित रोजगार योजना – 297 टीम

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ विकास खण्ड़ों में एक ही पी.आई.ए. को दो मिलीवाटरशेड में कार्यक्रम संपादित कर सकेंगी। इसका आंकलन कार्य की सुविधा एवं प्रशासनिक व्यय को कम रखने के लिये कृपया अपने स्तर पर करें।

4. **लक्ष्य एवं क्रियान्वयन :**

(4.1) वर्ष 1995–96 के लिये डीपीएपी/ई.ए.एस. के लक्ष्य ;माइक्रो वाटरशेड तथा क्षेत्राद्ध संलग्न प्रपत्र एक में अंकित हैं।

(4.2) 1 अप्रैल 95 से सभी डीपीएपी/ई.ए.एस./आई.डब्ल्यू.डी.पी. तथा सघन जवाहर रोजगार योजना के विकास खण्डों के चयनित वाटरशेड में ग्रामीण समाज द्वारा चाही कार्य योजना का ही क्रियान्वयन किया जावेगा।

(4.3) वर्ष 1995–96 में कार्यक्रम निम्नानुसार किये जावेंगे :

(1) अक्टूबर, 95 – संस्थागत व्यवस्था एवं ट्रेनिंग

(2) नवम्बर, 95 – कम्युनिटी आर्गनाईजेशन, योजना की तैयारी तथा आस्था मूलक कार्य।

(3) दिसम्बर, 95 से वाटरशेड कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

5. **जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति में मनोनयन तथा अधिकार :**

(5.1) मिशन द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स को जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में आवश्यक रूप से मनोनीत किया जावे, जिससे उनका उपयोग जिला स्तर पर सुनिश्चित हो सके।

(5.2) जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति द्वारा वाटरशेड योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी तथा मिली वाटरशेड के परियोजना अधिकारी द्वारा विभिन्न तकनीकी कार्यों को तकनीकी स्वीकृति दी जावेगी।

6. **वित्तीय अधिकार एवं आडिट :**

(6.1) (अ) वित्तीय अधिकार संबंधी विवरण संलग्न तालिका–दो एवं तीन में अंकित है।

(ब) मिशन तथा विकास आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वाटरशेड मद में किये व्यय का आडिट किया जावेगा।

(स) लेखाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पी.आई.ए. तथा वाटरशेड समिति के वाटरशेड संबंधी लेखाओं का त्रैमासिक आडिट किया जाकर राज्य शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।